भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 838
दिनांक 30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

दवाओं की मूल्य वृद्धि हेतु निगरानी तंत्र

838. श्री नीरज डांगीः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) के अंतर्गत शामिल दवाओं की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या डीपीसीओ के अंतर्गत प्रतिवर्ष दवाओं के मूल्य में वृद्धि देखी गई है, यदि हां, तो बढ़ी हुई दरों वाली दवाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या कुछ फार्मा कंपनियां दवाओं के निर्माण, परीक्षण, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण और वितरण के लिए निर्धारित मानकों एवं मानदंडों का पालन नहीं करती हैं;
(घ) यदि हां, तो ऐसी फार्म कंपनियों की दवाओं की दरों की निगरानी के लिए सरकार द्वारा कोई तंत्र स्थापित किया गया है; और
(ङ) यदि हां, तो इन तंत्रों द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (सुश्री अनुप्रिया पटेल)

(क): औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के प्रावधानों के अनुसार, डीपीसीओ की अनुसूची-I में सूचीबद्ध सम्मिश्रणों को डीपीसीओ, 2013 की धारा 2(1)(यख) के तहत अनुसूचित सम्मिश्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुसूची-I में शामिल न किए गए सम्मिश्रणों को डीपीसीओ, 2013 के पैरा 2(1)(फ) के तहत गैर-अनुसूचित सम्मिश्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार, अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दोनों औषधियां डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत कवर की गई हैं।

(ख): डीपीसीओ, 2013 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, अनुसूचित दवाओं का अधिकतम मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा पिछले कैलेंडर वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) (सभी वस्तुओं) के आधार पर प्रति वर्ष 1 अप्रैल को या उससे पहले संशोधित किया जाता है और इसे सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को अधिसूचित किया जाता है। एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य का विवरण एनपीपीए की वेबसाइट अर्थात nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है। गैर-अनुसूचित सम्मिश्रणों (ब्रांडेड अथवा जेनेरिक) के मामले में, डीपीसीओ, 2013 के पैरा 20 के अनुसार, कोई भी विनिर्माता अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में पिछले 12 महीनों के दौरान व्याप्त एमआरपी के 10% से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकता है। अनुसूचित और गैर-अनुसूचित औषधियों के लिए डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मूल्य में अधिकतम स्वीकार्य वृद्धि उनके संबंधित विनिर्माताओं द्वारा वाणिज्यिक विचारों और बाजार गतिशीलता के आधार पर अमल में लाई जा सकती है अथवा नहीं लाई जा सकती है।

(ग) से (ङ): औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 और उसके अंतर्गत नियमों के तहत औषधि विनिर्माताओं को विनिर्माण लाइसेंस की शर्तों और उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) की अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक है। औषधि नियम, 1945 के अनुसार, विनिर्माण, परीक्षण, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण और वितरण को औषधि नियम, 1945 की अनुसूची-एम के अंतर्गत निर्धारित उत्तम विनिर्माण पद्धति (जीएमपी) सहित लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन में किया जाना आवश्यक है। उल्लंघन के मामले में, लाइसेंसिंग प्राधिकरण को उक्त अधिनियम और नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार है।

एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 के तहत अनुसूचित और साथ ही गैर-अनुसूचित दवाओं के मूल्यों की निगरानी करता है। सम्मिश्रणों की बिक्री स्वीकार्य मूल्य से अधिक मूल्य पर करते हुए पाई जाने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और डीपीसीओ, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कंपनी से अधिप्रभारित राशि की वसूली की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, दोषी कंपनियों से 72.73 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।

*****